यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी, (नरेन्द्रनगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी, (नरेन्द्रनगर) के माह 06/2015 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.01.2019 से 10.01.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी व श्री सलीम खान, पर्यवेक्षक द्वारा 17.06.2015 से 25.06.2015 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था । जिसमें माह 10/2008 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी, (नरेन्द्रनगर) का मुख्य कार्यकलाप राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विधालयों को मान्यता प्रदान करना है और उनके अध्यापको को वेतन प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समस्त टिहरी जिला है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रु लाख मे)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	00	2050.03	00	2049.33	00	0.70
2016-17	00	2459.70	00	2459.70	00	00
2017-18	00	1837.23	00	1837.23	00	00
2018-19 (12/2018)	00	1535.67	00	1339.25	00	196.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

--------------- शून्य ------------------

(ii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई की श्रेणी "सी" है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1-सचिव, 2-महानिदेशक, 3-निदेशक माध्यमिक शिक्षा, 4-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
5-मंडलीय अपर निदेशक (मा° शि°), 6-मुख्य शिक्षा अधिकारी।

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी, (नरेन्द्रनगर) की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी, (नरेन्द्रनगर) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2017, को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- रोकड़ बही का रख रखाव न किया जाना तथा कुल धनराशि ₹ 23.21 करोड़ के वाउचर सत्यापित न कराया जाना।

शासन के पत्रांक संo- 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 भाग 27 के प्रस्तर 1 अ के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कोई लेनदेन करता है तो उसे प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि यथाशीघ्र रोकड़बही में करनी चाहिए और उस पर अपना नमूना हस्ताक्षर करना चाहिए।

इकाई के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। कोषागार को भेजे गए बिलो की एक प्रति भी कार्यालय मे नहीं रखी गयी थी जिसके कारण माहों के दौरान किए गए व्यय का सत्यापन रोकड बही एवं देयको से नहीं किया जा सका था। अभिलेखो का रख रखाव अस्त-व्यस्त था जिसके कारण नमूना जांच हेतु चयनित माहों मे व्यय की गयी धनराशि का सत्यापन पूर्ण रूप से देयकों से एवं 11-C पंजिका से भी नहीं किया जा सका जिससे किसी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। नमूना जांच हेतु चयनित माहों मे कुल व्यय की गयी धनराशि रू. 13,43,89,194/- को लेखा परीक्षा मे सत्यापित नहीं किया जा सका। विगत लेखा परीक्षा मे भी यह आपत्ति उठायी गयी थी जिसमे रोकड़ बही से धनराशि रू० 9.77 करोड़ की धनराशि को सत्यापित नहीं किया जा सका था। इस प्रकार विगत लेखा परीक्षा की धनराशि को मिलकर कुल 23.21 करोड़ की धनराशि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि रोकड़ बही का रख रखाव किया जायेगा तथा संबन्धित वाउचर संबन्धित विधालयों के अभिलेखो हेतु रख रखाव हेतु दिये गए है। भविष्य मे कार्यालय मे अभिलेखित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा किए गए व्यय के वाउचर इकाई द्वारा ही रखे जाने चाहिए थे।

अत: प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- शासनादेश के विपरीत अपूर्ण प्रारूप पर कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू कर वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 5.30 करोड़ के कार्य कराया जाना।

शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 के अनुसार,"कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त शासनादेश के साथ ही कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू किए जाने हेतु एक प्रारूप भी संलग्न किया गया था जिसमें समझौता ज्ञापन के रूप में 17 बिन्दुओं पर ग्राहक विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य परस्पर सहमति दी जाती है।

इकाई में ज़िला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों की पत्रावली में जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में ₹ 321.86 लाख की लागत से 22 कार्यों हेतु जिला पंचायत टिहरी कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू किया गया। वर्ष 2016-17 में ₹323.22 लाख की लागत से 59 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू किया गया। कार्यदायी संस्था के साथ किए गए एमओयू की जांच में पाया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ किया गया एमओयू शासनादेश में निर्धारित प्रारूप में नहीं था, वर्ष 2015-16 में किया गया एमओयू मात्र 8 बिन्दुओं पर था एवं 2016-17 में किया गया एमओयू में मात्र 11 बिन्दु थे जबकि इस हेतु जारी शासनादेश में संलग्न प्रारूप में 17 बिन्दुओं पर आपसी सहमति किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। साथ ही शासनादेश के अनुसार ग्राहक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक कार्य का पृथक एमओयू किया जाना निर्देशित किया गया था जबकि इस प्रकरण में कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पूर्ण कार्यों पर एक एमओयू किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि इस संबंध में कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा, इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू किया जाना ग्राहक विभाग का उत्तरदायित्व था न कि कार्यदायी संस्था का।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
AIR- 42/2015-16	00	1,2,3,	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR-42/2015-16	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी, (नरेन्द्रनगर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   रोकड़ बही व अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री दिनेश चंद गौड़	आहरण वितरण अधिकारी	06/2015 से 12/2018

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी, (नरेन्द्रनगर) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.